

अज्ञान

प्रावली पेश। वादी की ओर से कोई उपलब्ध नहीं। न्यायालय के सहायक कर्मचारी लेवाट-वाट भावाजे लगवायी किन्तु न तो वादी स्वयं उपलब्ध नहीं उनके अधि. उपलब्ध जिससे प्रार्थी की अदम फेरवी अदम टाजरी मे वादी / प्रार्थी का प्र-पत्र खारिज किया जाता है। प्रावली तदनुसार निर्मित है। आदेश। खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8